www.ecourtsindia.com

10.12.2021

राज्य द्वारा श्रीमती भारती गेडाम विशेष लोक अभियोजक उपस्थित।

अभियुक्त अनुपस्थित।

प्रकरण आरोपी की उपस्थिति हेतु नियत है।

अभियुक्त को जारी गिरफ्तारी वारंट इस तस्दीक पंचनामा के साथ प्राप्त कि वारंटी लगभग 05 माह से अधिक समय से घर से बाहर है उसकी आसपास एवं गांव में तलाश की गई, किंतु उसका कोई पता नहीं चला। उसके परिवार वालों से उसका कोई सम्पर्क नहीं है। उसके निकट भविष्य में मिलने की कोई सम्भावना नहीं है।

उक्त संबंध में साक्षी अमोल बोरकर अ0सा0–01 के फरारी कथन कराये गये।

प्रकरण अवलोकन से दर्शित होता है कि आरोपी दिनांक–06.09.2019 से लगातार अनुपस्थित है। प्रकरण दिनांक–04.12.2021 से अभियुक्त परीक्षण हेतु नियत है। अभियुक्त के अधिवक्ता का भी कथन है कि पिछली कई पेशियों से वह पेशी पर नहीं आया है, परंतु अधिवक्ता होने के नाते वे उसकी ओर से पैरवी कर रहे थे, परंतु वर्तमान में आरोपी ने उनसे कोई सम्पर्क नहीं किया है।

उपरोक्त समस्त परिस्थितियों को देखते हुए यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त के निकट भविष्य में मिलने की सम्भावना दर्शित नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त मोनू केवट को फरार घोषित किया जाकर उसके विरूद्ध पुलिस अधीक्षक रायसेन के माध्यम से गैर मियादी गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाता है।

प्रकरण परिणाम दर्ज कर व्यवस्थित कर विहित समयावधि में अभिलेखागार इस टीप के साथ प्रेषित किया जावे कि आरोपी फरार है गैर मियादी गिरफ्तारी वारंट जारी है, अभिलेख सुरक्षित रखा जावे।

नौशीन खान
अनन्य विशेष न्यायाधीश
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012/
द्वितीय अपर सत्र् न्यायाधीश
रायसेन म0प्र0

This is a True Copy of the Court Records Online. Authenticated @ districts.ecourtsindia.com/cnr/MP38010000902018/truecopy/order-1.pdf